बिहार सरकार
उद्योग विभाग

संकल्प

विषयः– वृहद् प्रक्षेत्र के रूग्ण इकाइयों के पुनर्वास हेतु उच्च स्तरीय प्राधिकृत समिति का गठन।

राज्य के रूग्ण इकाइयों को पुनर्जीवित करना आवश्यक है। इनके पुनर्जीवन के लिए एन0सी0एल0टी0 द्वारा निबंधित रूग्ण इकाइयों को पुनर्जीवित करने के लिए राज्य स्तरीय समिति की अनुशंसा पर निर्णय लेने हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय प्राधिकृत समिति निम्न प्रकार से गठित किया जाता है :–

(i)	मुख्य सचिव	अध्यक्ष
(ii)	विकास आयुक्त	सदस्य
(iii)	प्रधान सचिव, वित्त विभाग	सदस्य
(iv)	प्रधान सचिव / सचिव, ऊर्जा विभाग	सदस्य
(v)	प्रधान सचिव / सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग	सदस्य
(vi)	प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य विद्युत वितरण कं0 लि0	सदस्य
(vii)	प्रधान सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग	सदस्य
(viii)	प्रधान सचिव / सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	सदस्य
(ix)	प्रधान सचिव / सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	सदस्य
(x)	प्रधान सचिव, वाणिज्य–कर विभाग	सदस्य
(xi)	प्रधान सचिव / सचिव, उद्योग विभाग	संयोजक

2. यह समिति अन्य विभागों एवं राज्य सरकार के प्रतिष्ठानों के प्रधान सचिवों / सचिवों / अध्यक्षों / प्रबंध निदेशकों को आवश्यकतानुसार विमर्श हेतु आमंत्रित कर सकेगी।

3. यह समिति वृहद् प्रक्षेत्र के रूग्ण एवं बंद इकाइयों के पुनर्वास पैकेज पर निर्णय लेगी।

4. इस समिति के निर्णयों को राज्य सरकार के संबंधित विभाग / प्रतिष्ठान से निर्धारित समय–सीमा के अन्तर्गत पूर्णरूपेण अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

5. समिति की बैठकों में लिए गये निर्णयों एवं अनुशंसाओं पर मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त कर तथा मंत्रिपरिषद् की सहमति जहां आवश्यक हो, प्राप्त कर उनका कार्यान्वयन किया जायेगा।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी सूचना सभी संबंधित पदाधिकारियों को दी जाए।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

3/4/2018

(डा0 एस0 सिद्धार्थ)
प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः– 532 /पटना, दिनांक– 03.04.18
सं0सं0– 4 तक0 / रूग्ण उद्योगों का पुनर्वास / 47 / 2017

प्रतिलिपिः– उप सचिव, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि इसे बिहार गजट के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशित की जाय। अनुरोध है कि प्रकाशित संकल्प की 500 प्रतियाँ उद्योग विभाग, बिहार सरकार को भेजी जाय।

3/4/2018

प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

n.k.-01

ज्ञापांकः– 532 / पटना, दिनांक– 03.04.18

सं0सं0– 4 तक0 / रूग्ण उद्योगों का पुनर्वास / 47 / 2017

प्रतिलिपिः– उपरोक्त समिति के सभी सदस्यों / सभी विभागों / विभागाध्यक्षों / प्रधान सचिव, वाणिज्यकर विभाग / प्रबंध निदेशक, उद्योग विभाग के सभी निगम / बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार / निदेशक, उद्योग / निदेशक, तकनीकी विकास / निदेशक, खाद्य प्रसंस्करण / निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम, बिहार, पटना / मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, पटना / मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, उद्योग मित्र, पटना / प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य विद्युत वितरण कं0 लि0, पटना / सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी जिला पदाधिकारी / सभी उप विकास आयुक्त / महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र / स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, नई दिल्ली / निदेशक, एम.एस.एम.ई., पटना / मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3/4/2018

प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

13

n.k.-01